

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1.राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया,सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास,जयपुर 302005

क्रमांक :- एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2022/3994

जयपुर, दिनांक :- 12-5-2022

-:: आदेश ::-

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 अनुसूचित क्षेत्रों (TSP) हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2014 लागू किया गया है।

उक्त अधिसूचना के क्रम में विभाग के कुल पदों का अनुसूचित क्षेत्रों (TSP) में स्थित विभागीय कार्यालयों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र (TSP) तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रवार (Non-TSP) पदों का निम्न प्रकार से निर्धारण किया जाता है :-

क्र.सं.	पदनाम	पद का पे लेवल	कुल स्वीकृत पद	प्रस्तावित	
				अनुसूचित क्षेत्र (TSP)	गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)
1	2	3	4	5	6
1.	जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	L-12	35	01	34
2.	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	L-11	295	41	254
3.	परीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	L-11	43	03	40
4.	आशुलिपिक	L-10	37	03	34
5.	संस्थापन अधिकारी	L-15	01	00	01
6.	प्रशासनिक अधिकारी	L-12	03	00	03
7.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	L-11	15	00	15
8.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10	50	02	48
9.	वरिष्ठ सहायक	L-8	106	07	99
10.	कनिष्ठ सहायक	L-5	465	51	414
11.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	L-8	108	11	97
12.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-11	L-5	582	51	531
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1	1998	185	1813
Total			3738	355	3383

(डॉ० समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि /2022/3995-4490 जयपुर, दिनांक :- 12-5-2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन/जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
7. प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन) मुख्यावास।
8. प्रभारी, संस्थापन (पी.-1 से 4) प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सिस्टम एनालिस्ट (उप निदेशक) को वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

(ओ०पी० बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव